नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर के Infrastructre समिति एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट के बंगल मे अवस्थित गोदाम एवं सोलह कोर्ट भवन के परिसर मे अवस्थित टीन शेड गोदाम में रखे हुए कबाड़ जिसमे पुरानी लकड़ी और स्टील की टूटी फर्नीचर जो जिस अवस्था में है को निलाम किया जाना है।

अतः इच्छुक प्रतिष्ठान / व्यक्ति नोटिस निर्गत की तिथि से सात दिनों के अंदर निविदा (कोटेशन) नजारत व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर में जमा करे। निलामी हेतू उपलब्ध सामानों का मुआयना करने हेतु एवं किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु नाजीर, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर, मोबाइल न:-9708921110 से सम्पर्क किया जा सकता है|

नाजीर, व्य० न्या०, मुज० को निर्देश दिया जाता है की इस नोटिस को सूचना पट एवम **एस॰ओ** को निर्देश दिया जाता है कि सिविल कोर्ट वेबसाइट पर डाले ।

आदेश से

12.07.25

प्रभारी प्रशासन (नज़ारत)
व्यवहार न्यायालय,
मुजफ्फरपुर